मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 1 नवम्बर,1999 (कार्तिक 10, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री सुरती किस्टैया पापैया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा का निधन उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री नन्द कुमार पटेल, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का सत्रहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1997-1998 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नरेन्द्र भंवरलाल नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1996-97 वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 1997 के लिये पटल पर रखेंगे.

(3) श्री रत्नेश सॉलोमन, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 21 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री धनेश पटिला, डेयरी विकास मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित भोपाल (समापनाधीन) समापक का लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री डोमन सिंह नगपुरे, राज्य मंत्री समाज कल्याण, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त निःशक्त जन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

4. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

5. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा वन मण्डल अन्तर्गत वनों की अवैध कटाई कर वन भूमि पर कब्जा कराये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री कमल पटेल, लक्ष्मण सिंह गौड़, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, राजनांदगांव जिले के छुरिया थाने को नक्सलवादियों द्वारा लूटे जाने की घटित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

6. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 141-राजिम से निर्वाचित सदस्य, श्री श्यामाचरण शुक्ल तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 245-भोजपुर से निर्वाचित सदस्य, श्री सुन्दरलाल पटवा द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना.

7. सभापति तालिका की घोषणा

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भूमि प्रबन्धन विधेयक, 1999 (क्रमांक 30 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री लिखीराम कावरे, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 31 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 32 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 33 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री धनेश पटिला, जेल मंत्री, कारागार (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 34 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

9. संकल्प

डॉ. प्रेमसाय सिंह, राजस्व मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन इस वर्ष माह सितम्बर में प्राकृतिक आपदाओं में अपने प्राण विसर्जित करने वाले मध्यप्रदेश राज्य के नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लाखों प्रभावितों के प्रति संवेदना प्रकट करता है.

यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि प्रदेश में आई बाढ़, अतिवृष्टि, भू-स्खलन तथा सूखे की स्थिति से उत्पन्न विभीषिका के शिकार नागरिकों और किसानों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा निधि से राज्य सरकार को उसके द्वारा इस संदर्भ में भेजे गये दो ज्ञापनों की अपेक्षानुसार क्रमशः रूपये 195.27 व 361.61 करोड़ की धन राशि तत्काल उदारतापूर्वक उपलब्ध कराये."

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 30 अक्टूबर, 1999.